विजय कुमार,
आई0पी0एस0

परिपत्र संख्याः 19/2023
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार,
लखनऊ-226010
दिनांकः जून 15 2023.

विषयः- किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा-8(3) का कियान्वयन नियमानुसार कराने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

प्रायः यह देखा जा रहा है कि बालिकाओं और बच्चों को रात्रि में थानों पर रखा जा रहा है। कुछ मामलों में कई दिनों तक बच्चे एवं बालिकायें थाने में रखी गयी है जो जे0जे0 एक्ट 2015 की धारा 8(3)(आई) के विरूद्ध है। पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत किसी भी बच्चे को थाने मे रखा जाना अनुचित ही नहीं, विधि विरूद्ध भी है। ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों एवं बालिकाओं के विरूद्ध घटित होने वाले अपराधों से सम्बन्धित महिला सम्मान प्रकोष्ठ/वीमेन पॉवर लाइन (1090) द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम-2015 व पॉक्सो अधिनियम-2012 पर आधारित पुलिस द्वारा बच्चों के प्रकरणों में वैधानिक कार्यवाही हेतु स्टैन्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) का आपके स्तर से पालन नहीं किया/कराया जा रहा है, जिससे जन सामान्य में पुलिस की छवि धूमिल होती है। इस सम्बन्ध में सदस्य, उत्तर प्रदेश, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, लखनऊ के पत्र सं0-रा0बा0आ0/200/ 95/2022-23 दिनांकित 17.05.2023 द्वारा किसी भी दशा में बच्चों व बालिकाओं को थाने में न रखे जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के समस्त थानाध्यक्षों को निर्देशित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- मा0 आयोग द्वारा यह भी संज्ञानित किया गया है कि " आयोग को निरन्तर ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि बालिकाओं और बच्चों को रात्रि में थानों पर रखा जा रहा है। कुछ मामलों में कई दिनों तक बच्चे एवं बालिकायें थाने में रखी गयी है जो जे0जे0 एक्ट 2015 की धारा 8(3)(आई) के विरूद्ध है। पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत किसी भी बच्चे को थाने मे रखा जाना अनुचित ही नहीं, विधि विरूद्ध भी है। इसके लिए आईपीसी की धारा-166(ए) के अन्तर्गत पुलिस कर्मियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है। यदि रात्रि में कोई बच्चा पुलिस को मिलता है तो प्रारूप-42 (किशोर न्याय अधिनियम) भरकर उसे आश्रय गृहों में रखा जाये और जिन जनपदों मे आश्रय गृह उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर वन स्टाप सेन्टर में रखा जाये। "

3- अतः किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा-8(3) का नियमानुसार कियान्वयन किये जाने हेतु मा0 सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, लखनऊ के संलग्न पत्र संख्याः-रा0बा0आ0/200/95/2022-23 दिनांक 17.05.2023 में की गयी अपेक्षा के अनुसार इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(विजय कुमार)

समस्त पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,,

प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को संलग्नको सहित उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

3- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

4- पुलिस उपमहानिरीक्षक, ए0एन0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश।

डॉ० शुचिता चतुर्वेदी
सदस्य

आज़ादी का अमृत महोत्सव

उत्तर प्रदेश
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
लखनऊ -226001

पत्रांक रा0बा0आ0/200/95/2022–23

दिनांक 17-05-2023

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ, लखनऊ।

विषयः किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा–8(3) का क्रियान्वयन नियमानुसार कराने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम–2005 की धारा–17(1) के प्राविधानों के अन्तर्गत किया गया है। बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम–2005 की धारा–13 व 14 के अन्तर्गत आयोग को बालक के अधिकारों का उल्लंघन एवं उनकी संरक्षा के अतिक्रमण की जांच/निस्तारण कराये जाने का पूर्ण अधिकार है।

अवगत कराना है कि आयोग को निरन्तर ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि बालिकाओं और बच्चों को रात्रि में थानों पर रखा जा रहा है। कुछ मामलों में कई दिनों तक बच्चे और बालिकाएं थाने में रखी गयी हैं जो जे0जे0 एक्ट 2015 की धारा 8(3)(i) के विरूद्ध है। पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत किसी बच्चे को थाने में रखा जाना अनुचित ही नहीं, विधि विरूद्ध भी है। इसके लिए आईपीसी की धारा 166(ए) के अन्तर्गत पुलिस कर्मियों के विरूद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है। यदि रात्रि में कोई बच्चा पुलिस को मिलता है तो प्रारूप–42 (किशोर न्याय अधिनियम) भरकर उसे आश्रय गृहों में रखा जाये और जिन जनपदों में आश्रय गृह उपलब्ध नहीं हैं वहाँ पर वन स्टाप सेंटर में रखा जाये।

अतः आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश के समस्त थानाध्यक्षों को अपने स्तर से निर्देशित करें कि किसी भी दशा में बच्चों व बालिकाओं को थाने में न रखा जाये। कृत कार्यवाही से आयोग को एक सप्ताह में अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीया

(डॉ0 शुचिता चतुर्वेदी)
सदस्य

पत्रांक एवं दिनांकः उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि : प्रमुख सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य